राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–64 / 2021
बिमला देवी बनाम मनोहर प्रसाद एवं अन्य

1 यह वाद श्रीमती बिमला देवी पति– श्री दीनानाथ प्रसाद ग्राम–कलवारपट्टी वार्ड नं0–06 पो0–थाना–चनपटिया जिला–पश्चिम चम्पारण द्वारा (01). श्री मनोहर प्रसाद, पिता–स्व0 अदालत महतो, पार्षद, वार्ड संख्या–13, पो0+थाना–चनपटिया, नगर पंचायत चनपटिया (02). श्रीमति चंदा कुमारी, पति– श्री अमोद बैठा, वार्ड पार्षद वार्ड संख्या–14, पो0+थाना–चनपटिया, नगर पंचायत चनपटिया तथा (03). श्री अंशु बिहारी, पिता–श्री मोहन राय, वार्ड पार्षद–वार्ड संख्या–15, पो0+थाना–चनपटिया, नगर पंचायत चनपटिया के विरुद्ध लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (1) (n) एवं धारा–18 (2) के तहत वार्ड पार्षद के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2 वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा वादी का पक्ष रखा गया तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार एवं श्री बिमलेश कुमार पाण्डेय द्वारा पक्ष रखा गया, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से वरीय उप समाहर्त्ता, पं0 चम्पारण द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों को न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किया गया।

3 प्रथमतः वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा चनपटिया, नगर पंचायत के वार्ड संख्या–13 के वार्ड पार्षद, श्री मनोहर प्रसाद, वार्ड संख्या–14 के वार्ड पार्षद, श्रीमति चंदा कुमारी एवं वार्ड संख्या–15 के वार्ड पार्षद, श्री अंशु बिहारी के विरूद्ध लगातार 03 मिटिंग में अनुपस्थित रहने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(n) के तहत इन्हें निरर्हरित करने की माँग की गई। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि श्री मनोहर प्रसाद एवं श्रीमति चंदा कुमारी चनपटिया, नगर पंचायत बोर्ड के 03 लगातार बैठक क्रमशः दिनांक–06.04.2019, 30.04.2021 तथा 20.07.2021 को अनुपस्थित रहें। साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा उक्त तिथियों को हुई बैठक के कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें वे उपस्थित नहीं थे। नोटिस तामिला के साक्ष्य स्वरूप इनके द्वारा नगर पंचायत, चनपटिया के चपरासी बही के संगत अंशों का अवलोकन कराया गया।

इसके बाद विद्वान अधिवक्ता श्री चौबे द्वारा तीसरे प्रतिवादी श्री अंशु बिहारी के संबंध में साक्ष्यों का अवलोकन आयोग को कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि श्री बिहारी दिनांक–04.12.2020,दिनांक–12.03.2021 एवं दिनांक–06.04.2020 को अनुपस्थित रहें हैं। इस संबंध में उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप उक्त तिथियों का कार्यवाही प्रतिवेदन एवं नोटिस तामिला के संगत अंशों का अवलोकन आयोग को कराया गया।

आगे उनके द्वारा यह दावा किया गया कि उक्त तीनों प्रतिवादियों को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–49 एवं धारा–377(1)(d) के तहत नोटिस का तामिला ससमय करा दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया गया। अतः ये सभी बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(n) के तहत हटाये जाने योग्य हैं।

श्री अंशु बिहारी के संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग के संज्ञान में लाया गया कि लिपिकीय भूल के कारण तिथि 04.12.2020 के स्थान पर 07.12.2020 अंकित हो गई थी, जिसकी उपेक्षा किये जाने का अनुरोध किया गया।

तहरीर के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा प्रतिवादी के इस दावे का खण्डन किया गया कि दिनांक–20.07.2021 को आयोजित साधारण बैठक में पार्षदों के सामूहिक बहिष्कार के कारण गणपूर्ति के अभाव में हुई बैठक को वैध बैठक नहीं माना जा सकता। उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–50(2) का अवलोकन कराया गया जिसमें स्पष्ट है कि यदि कोई बैठक जारी है तथा किसी समय कोई कोरम न रहे तो कोरम की पूर्ति तक वह बैठक निलम्बित या स्थगित कर दी जाएगी अर्थात उस बैठक में किसी एजेण्डा पर कोई बहस या कार्रवाई नहीं की जाएगी, परन्तु बैठक की वैधता बनी रहेगी इसी

क्रम में उनके द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चनपटिया को विधि विभाग से प्राप्त परामर्श को प्रेषित करने हेतु निर्गत पत्रांक–2320, दिनांक–09.07.2021 को अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें उद्धृत प्रभावकारी अंश निम्नवत् है–" So far section 50 is concern it deals about the Karya Sanchalan i.e. work procedure in which it has been stated that for passing resolution 2/5th members should be present and if proper quorum is not fulfilled the meeting will be deferred for next date as per law. Since the meeting dated 03-07-2020 was neither suspended nor adjourned but meeting was notified to have failed, no fresh, No confidence motion cannot be brought within one year." अर्थात कोरम के आभाव में जिस बैठक की कार्रवाई नहीं हो सकी है, उसकी वैधता बरकरार रहेगी।
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः लिखित जवाब दायर नहीं किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया गया जिसे आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री विमलेश पाण्डेय द्वारा सर्वप्रथम प्रतिवादी सख्या–05 अर्थात श्री मनोहर प्रसाद के संबंध में अपना पक्ष रखा गया। उनके द्वारा दावा किया गया कि उनके मुवक्किल को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–49 एवं धारा–377(1)(d) के तहत नोटिस का तामिला नहीं कराया गया है। उनके द्वारा दावा किया गया कि दिनांक–06.04.2021, दिनांक–30.04.2021 एवं दिनांक–20.07.2021 के लिए निर्गत नोटिसों में एजेण्डा का उल्लेख नहीं है जो कि उक्त अधिनियम की धारा–49 का अनिवार्य अंग है। इसी प्रकार दिनांक–20.07.2021 के बैठक के लिए नोटिस का तामिला दिनांक–19.07.2021 को कराया गया है, जो कि 72 घंटे से कम है। इस प्रकार उनके मुवक्किल को वैध तरीके से नोटिस का तामिला नहीं कराया गया।

इसके उपरांत श्री पाण्डेय द्वारा प्रतिवादी संख्या–06 अर्थात श्रीमति चंदा कुमारी के संबंध में अपना पक्ष रखा गया। उनके द्वारा दावा किया गया प्रतिवादी संख्या–05 के समान श्रीमति चंदा कुमारी को भी दिनांक–06.04.2021, दिनांक–30.04.2021 तथा दिनांक–20.07.2021 को वैध नोटिसों का तामिला नहीं कराया गया। उक्त तिथियों के नोटिसों में एजेण्डा का अभाव था तथा दिनांक–30.04.2021 एवं दिनांक–20.07.2021 का वैध तामिला नहीं कराया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक–30.04.2021 की बैठक हेतु तामिला श्रीमति चंदा कुमारी की सास को कराया गया है, जो कि परिवार की परिभाषा में समाहित नहीं है। इस संबंध में उन्होनें आयोग द्वारा वाद संख्या–06/2021 में भसुर के द्वारा प्राप्त किए गए नोटिस को वैध तामिला नहीं मानने का हवाला दिया गया। उनके द्वारा आगे दिनांक–20.07.2021 को विधिवत नोटिस तामिला नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया तथा आयोग को बताया गया कि यदि उनके द्वारा अथवा परिवार के सदस्य के द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया जाता है तो नोटिस तामिला की प्रक्रिया बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–377 (1)(d) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, परन्तु प्रशासन द्वारा किसी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है।

अंत में श्री पाण्डेय द्वारा प्रतिवादी संख्या–07 अर्थात श्री अंशु बिहारी के संबंध में यह दलील दी गई कि उनकों भी उक्त दो वाद पार्षदों के समान दिनांक–04.12.2020, दिनांक–12.03.2021 एवं दिनांक–06.04.2021 की बैठकों के लिए निर्गत वैध नोटिस का तामिला नहीं कराया गया। नोटिसों में एजेण्डा का अभाव था साथ ही साथ कोरोना के कारण बैठकों पर रोक लगाई गई थी। इसी कारण उनके द्वारा बैठकों में भाग नहीं लिया जा सका।

उक्त दलीलों के अलावा उन्होंने वादी के मंशा पर सवाल उठाया तथा इस वाद को राजनितिक प्रतिद्वंदिता का नतीजा बताया।

प्रतिवादी के तर्कों का जवाब देते हुए वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि श्री अंशु बिहारी द्वारा कोरोना काल में भी नगर पंचायत के अन्य बैठकों में भाग लिया गया है। इस क्रम में उनके द्वारा दिनांक–30.04.2021 के कार्यवाही प्रतिवेदन का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें श्री बिहारी उपस्थित थे। उनके द्वारा यह माँग की गई कि प्रतिवादी के इस दावे कि नोटिस लेने से इन्कार करना नोटिस का वैध तामिला नहीं है, को Court Record में दर्ज किया जाए। आगे उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या–05 के संबंध में किए गए इस दावे का खण्डन किया गया कि दिनांक–20.07.2021 के लिए निर्गत नोटिस का तामिला दिनांक–19.07.2021 को किया गया है। उनके द्वारा यह दिखाया गया कि नोटिस प्राप्ति की तिथि 15.07.2021 है न कि 19.07.2021।

5 जिला प्रशासन की तरफ से जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका–सह–जिला पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण) के पत्रांक–20 दिनांक–11.01.2022 तथा पत्रांक–38 दिनांक–30.04.2022 द्वारा निष्कर्षात्मक जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदनों में श्री मनोहर प्रसाद, श्रीमती चन्दा कुमारी एवं श्री अंशु बिहारी को लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित बताया गया है। जॉच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि दिनांक 20.07.2021 को सामूहिक बहिष्कार के कारण गणपूर्ति नहीं हो पाई थी। इसके अलावा श्रीमती चन्दा कुमारी के संबंध में प्रथम बैठक दिनांक–06.04.2021 के लिए नोटिस उनकी सास श्रीमती शांति देवी द्वारा प्राप्त किया गया था तथा तृतीय बैठक दिनांक–20.07.2021 की बैठक के लिए उन्होंने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया था।

6. **आयोग द्वारा तीनों प्रतिवादी वार्ड पार्षदों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों, अधिवक्ता द्वय तर्कों तथा जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पश्चिम चम्पारण द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदनों का परीक्षण किया गया । आयोग का इनके संबंध में अलग–अलग मत/निर्णय निम्नवत है:–**

(क) श्री मनोहर प्रसाद– आयोग का अभिमत है कि श्री मनोहर प्रसाद वादी के दावे के अनुरूप दिनांक–06.04.2021, दिनांक–30.04.2021 तथा दिनांक–20.07.2021 को होने वाली लगातार तीन बैठकों में वैध रूप से नोटिस का तामिला होने के वाबजूद अनुपस्थित रहे हैं।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के दावे कि दिनांक–20.07.2021 के बैठक हेतु निर्गत नोटिस का तामिला उनके मुवक्किल को दिनांक–19.07.2021 को कराया गया है, सही नहीं पाया गया। सुनवाई के क्रम में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता गलत तथ्य का प्रतिवाद किया गया एवं उपस्थित प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई कि श्री प्रसाद द्वारा उक्त बैठक हेतु नोटिस दिनांक–15.07.2021 को प्राप्त किया गया है। आयोग द्वारा इसकी पुष्टि मूल अभिलेखों से मिलान कर भी की गई, तो नोटिस प्राप्ति की तिथि– 15.07.2021 ही पाई गई।

आयोग द्वारा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के इस दावे को भी गलत पाया गया कि उक्त तिथियों की बैठक हेतु निर्गत नोटिसों में ऐजेण्डा का उल्लेख नहीं है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–49 के तहत नोटिस का अनिवार्य अंग है। इस संबंध में भी उक्त तिथियों के लिए निर्गत नोटिसों का अवलोकन किया गया तथा सभी नोटिसों में ऐजेण्डा/बैठक के कारणों का स्पष्ट उल्लेख पाया गया।

दिनांक–20.07.2021 को सामूहिक बहिष्कार के कारण श्री प्रसाद के बैठक मे अनुपस्थित रहने संबंधी तर्क को भी आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। आयोग वादी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि गणपूर्ति के आभाव में स्थगित/निलंबित बैठक की वैधता बरकरार रहती है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–50(2) एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के विधि परामर्श से वादी के विद्वान अधिवक्ता की दावे की पुष्टि होती है। आयोग का भी अभिमत है कि **बैठक के स्थगन के कारण अनुपस्थिति एवं अनुपस्थिति के कारण बैठक के स्थगन में अन्तर है।** यदि किसी कारणवश निर्धारित बैठक

स्थगित की जाती है, तो ऐसी स्थगित बैठक में शामिल नहीं होने पर किसी वार्ड पार्षद को अुनपस्थित नहीं माना जा सकता है, परन्तु यदि पूर्व निर्धारित बैठक में पार्षदों की अनुपस्थिति के कारण गणपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसे वार्ड पार्षदों को, **जो उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे हैं, अनुपस्थिति से मुक्त नहीं माना जा सकता है।**

अतः वादी यह दावा कि श्री मनोहर प्रसाद लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं, सही पाया गया।

(ख) श्रीमती चन्दा कुमारी– आयोग का अभिमत है कि श्रीमती चन्दा कुमारी को वादी के दावे के अनुरूप दिनांक–06.04.2021 एवं दिनांक–30.04.2021 को नोटिस का विधिवत तामिला तो कराया गया, परन्तु दिनांक–20.07.2021 को बैठक हेतु निर्गत नोटिसों का तामिला वैधानिक रूप से नहीं कराया जा सका है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के दावे कि दिनांक–06.04.2021 की बैठक हेतु निर्गत नोटिस का तामिला उनके मुवक्किल के सास(पति की माता) श्रीमती शांति देवी को कराया गया है, वैधानिक रूप से सही नहीं है, को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद संख्या–06/2021 के पूर्वोदाहरण के आधार पर यह दावा किया गया कि आयोग द्वारा "भसुर" को परिवार का सदस्य नहीं माना है और इनके "भसुर" द्वारा प्राप्त नोटिस को नोटिस का वैधानिक तामिला नहीं माना है। **आयोग द्वारा इस संबंध में यह पाया गया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में नोटिस तामिला हेतु परिवाद के सदस्य की परिभाषा नहीं दी गई है।** Black's Law Dictionary में Family की परिभाषा निम्नरूपेण दी गई है–

" A Group of persons connected by blood, by affinity, or by law, esp. within two or three generations."

सरकार के द्वारा जारी विभिन्न सामाजिक–आर्थिक योजनाओं में परिवार के सदस्य के रूप में भिन्न–भिन्न रिश्तों को समाहित किया गया है अर्थात् परिवार भारतीय परंपरागत समाज एवं अन्य समाजार्थिक नीतियों में परिवार की संकल्पना एक समान नहीं है। बिहार राज्य में प्रायः सास एवं ससुर(पति के माता एवं पिता) परिवार के अभिन्न अंग होते हैं।

जहाँ तक प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद संख्या–06/2021 के पूर्वोदाहरण का संबंध है, यह स्पष्ट करना है कि उक्त वाद में प्रतिवादी यह साबित करने में सफल रहें कि उनके "भसुर" का परिवार एवं उनका परिवार अलग–अलग रहता है साथ ही साथ प्रतिवादी द्वारा कभी भी उनके **"भसुर"** द्वारा प्राप्त किये गये नोटिस के आधार पर किसी बैठक में भाग नहीं लिया गया है, परन्तु विचाराधीन वाद में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य का दावा नहीं किया गया कि वास्तव में प्रतिवादी की सास अर्थात श्रीमति शांति देवी उनके साथ आवासित नहीं है। **अतः आयोग द्वारा दिनांक–06.04.2021 के नोटिस तामिला को वैध पाया गया।**

दिनांक–20.07.2021 के संबंध में आयोग द्वारा यह पाया गया कि नोटिस का तामिला वैधानिक रूप से नहीं किया गया है। नोटिस लेने से इनकार करने की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 377(1)(d) में उल्लेखित रीति से नोटिस का तामिला कराया जाना चाहिए था, अर्थात् नोटिस लेने से इनकार करने की स्थिति में नोटिस को इनके आवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थल के सहज दृश्य भाग पर चिपका दिया जाना चाहिए था।

आयोग द्वारा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के इस दावे को गलत पाया गया कि उक्त तिथियों की बैठक हेतु निर्गत नोटिसों में ऐजेण्डा का उल्लेख नहीं है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–49 के तहत नोटिस का अनिवार्य अंग है। इस संबंध में भी उक्त तिथियों के लिए निर्गत नोटिसों का अवलोकन किया गया तथा सभी नोटिसों में ऐजेण्डा/बैठक के कारणों का स्पष्ट उल्लेख पाया गया।

अतः वादी का यह दावा कि श्रीमती चन्दा कुमारी लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रही है, को सही पाया गया, परन्तु दिनांक–20.07.2021 को निर्धारित बैठक के नोटिस का तामिला वैधानिक रूप से सही नहीं होने के कारण दिनांक–20.07.2021 की बैठक में अनुपस्थित रहने के आरोपों से मुक्त किया जाता है।

(ग) श्री अंशु बिहारी –आयोग का अभिमत है कि श्री अंशु बिहारी को वादी के दावे के अनुरूप दिनांक–04.12.2020, दिनांक–12.03.2021 तथा दिनांक–06.04.2021 को वैध रूप से नोटिस का तामिला होने के वाबजूद उक्त तिथियों को होने वाली बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं।

आयोग द्वारा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के इस दावे को गलत पाया गया कि उक्त तिथियों की बैठक हेतु निर्गत नोटिसों में ऐजेण्डा का उल्लेख नहीं है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–49 के तहत नोटिस का अनिवार्य अंग है। इस संबंध में भी उक्त तिथियों के लिए निर्गत नोटिसों का अवलोकन किया गया तथा सभी नोटिसों में ऐजेण्डा/बैठक के कारणों का स्पष्ट उल्लेख पाया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई आदेश उपस्थित करने में असफल रहे जिसमें कोविड–19 के कारण नगरपालिका जैसे अतिमहत्वपूर्ण निकाय की बैठकों पर रोक लगाई गई हो। दिनांक–30.04.2021 की बैठक में श्री बिहारी की उपस्थिति से भी इस बात की पुष्टि होती है कि कोरोना के कारण नगरपालिका की बैठकों पर रोक या स्थगन था।

अतः वादी यह दावा कि श्री अंशु बिहारी लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं, सही पाया गया।

इस प्रकार श्री मनोहर प्रसाद एवं श्री अंशु बिहारी नगर पंचायत चनपटिया के सदन द्वारा आहुत उक्त लगातार तीन बैठकों में बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहे हैं।

अतः इनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (1) (n) के तहत नगरपालिका सदस्य (वार्ड पार्षद) का पद ग्रहण करने के लिए अयोग्यता अर्जित कर ली गई है। फलतः बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (2) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **श्री मनोहर प्रसाद एवं श्री अंशु बिहारी** को तत्काल प्रभाव से नगर पंचायत चनपटिया के **कमशः वार्ड संख्या–13 एवं वार्ड संख्या–15 के वार्ड पार्षद के पद से पदमुक्त किया जाता है।** इसके साथ ही उक्त वार्ड में वार्ड पार्षद का पद रिक्त समझा जायेगा।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
09.05.2022
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
09.05.2022
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 64/2021 1704 पटना, दिनांक– 11 मई, 2022

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/05/22
विशेश कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 64/2021 1704 पटना, दिनांक– 11 मई, 2022

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पश्चिम चम्पारण बेतिया/कार्यपालक पदा0, नगर पंचायत चनपटिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/05/22
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–64 / 2022 1704 पटना, दिनांक– 1/मई, 2022

प्रतिलिपि–वादी श्रीमती बिमला देवी पति– श्री दीनानाथ प्रसाद ग्राम–कलवारपट्टी वार्ड नं0–06 पो0–थाना–चनपटिया जिला–पश्चिम चम्पारण /प्रतिवादी (01). श्री मनोहर प्रसाद, पिता–स्व0 अदालत महतो, वार्ड संख्या–13, पो0+थाना–चनपटिया, नगर पंचायत चनपटिया (02). श्रीमति चंदा कुमारी, पति– श्री अमोद बैठा, वार्ड पार्षद वार्ड संख्या–14, पो0+थाना–चनपटिया, नगर पंचायत चनपटिया तथा (03). श्री अंशु बिहारी, पिता–श्री मोहन राय, वार्ड पार्षद–वार्ड संख्या–15, पो0+थाना–चनपटिया, नगर पंचायत चनपटिया पं0 चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

09/05/22
विशेष कार्य पदाधिकारी